राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

प. 5(1)प्रसु/सम/अनु–1/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 13-12-2016

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09 सितम्बर, 2016 द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन में कार्य ग्रहण अवधि (Joining Time) देय नहीं होगी के संदर्भ में पूर्व प्रसारित आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलौच्य आदेशों में किया गया है या नहीं) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम, 1981 नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञेय होगा।

2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित का उल्लेख नहीं किये जाने वाले स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रकरणों में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं,

राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के संबंध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या F.7(3)FD(Rules)/98 dated 2.8.2005 & F. 12(6)FD(Rules)/05 dated 21.08.2007 के अनुसार देय होगा ।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

मानक वितरण

Scanned by CamScanner